संशोधन

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5436-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में श्री शेखर शर्मा, अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्ति करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5383-5283-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन वन विभाग भोपाल के प्रकरण ''राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के द्वारा अन्वेषित किये जा रहे'' वन अपराध क्रमांक 28060-02 एवं 8877/25 से उद्भूत मामलों में पैरवी करने हेतु श्री कार्तिक शुक्ल, अधिवक्ता, नागपुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. उनके व्यय का भुगतान वाईल्ड लाईन कन्जर्वेशन सोसायटी, बैंगलोर आर वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ नोयडा द्वारा वहन किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 2-121-2017-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के परिपत्र क्रमांक 2-121-2017-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 नवम्बर 2017 से जारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में ''आयकरदाता न हों'' संबंधित शर्त विलोपित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पर्वत सिंह, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. 1479-1482-2019-ए-सोलह-**शुद्धि पत्र.**—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1406-1482-2019-ए-सोलह, दिनांक 26 सितम्बर 2019 जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, में मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 6-5-07-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है.

उक्त अधिसूचना में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 6-5-2007-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 के स्थान पर दिनांक 14 अगस्त 2007 पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-17-18-2019-ए-ग्यारह.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-06-2016-बी-ग्यारह, दिनांक 1 फरवरी 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न नवीन औद्योगिक क्षेत्र को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है--

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेड़ी, सीहोर.	सीहोर	117.758

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 1406-1482-2019-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-6-5-07-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है, को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के संबंध में प्रभावशील होंगे, जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है.

No. 1406-1482-2019-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, rescinds the Notification No. F-6-5-07-A-XVI, dated 14th August 2017 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August, 2017and directs that all the provisions of the said Act shall come into force on the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette in respect of undertaking in the industries covered under the said Act wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

अधिसूचना क्रमांक 193-2014-15-30-पन्द्रह ( ) 489—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (48) दिनांक 20 जून 2019 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम (3) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित एवं उद्भूत होने वाले अपील प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत किया जाता है:—

सारणी

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आनंद भार्गव	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी इन्दौर संभाग-1)	इन्दौर संभाग-1, रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग के साथ इन्दौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग (एंटी इंवेजन ब्यूरो इन्दौर-ए एवं इन्दौर-बी से संबंधित अपील प्रकरण सहित).

डी. पी. आहूजा, आयुक्त.